न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 31 / 2018

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स–**

1. पदमाराम पुत्र डामराराम
2. ईश्वरलाल पुत्र डामराराम

जाति मेघवाल निवासी मुरटाला गाला
तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 152 दिनांक 08.03.1996 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अर्जुनराम बोसिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री मोहनलाल पूनड़, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2से9 व 11,12 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16 / 09 / 2020

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम महाबार पीथल के नामान्तरकरण सं. 152 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 08.03.1996 के विरूद्ध दिनांक 06.06.2018 को प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा महाबार पीथल के खसरा नम्बर 877, 897 [illegible] बीघा भूमि पूनमा वल्द अजीता कौम भांभी साकिन देह खातेदार के [illegible] से दर्ज थी। उक्त खातेदार पूनमा के फोत होने पर [illegible] नामान्तरकरण स. 152 में मृतक पूनमा के पूर्व मृत पुत्र डामरा के वारीस के रूप में मदन, प्रकाश [illegible] पि0 डामरा मरूवों बेवा डामरा का नाम अन्य खातेदारान के वारीसान के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दर्ज कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किये जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 08.03.1996 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट्स ने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 06.06.2018 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा महाबार पीथल के खसरा नम्बर 877 व 879 की भूमि अपीलांट्स के दादा पूनमा पुत्र अजीता के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार पूनमा के पुत्र डामरा अर्थात् अपीलांट्स के पिता का देहान्त पूनमा से पूर्व हो गया था तथा पूनमा के फोत होने पर उसके वारीसान के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 152 हल्का पटवारी द्वारा दायर किया गया। उक्त नामान्तरकरण में अपीलांट पदमाराम का नाम मदन तथा ईश्वरलाल का नाम ईसा गलत दर्ज किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बारे में वारीसान की जांच एवं उन्हे नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट्स द्वारा अर्सा पूर्व जब हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी भूमि के लिये राज्य सरकार की ओर से देय कृषि आदान–अनुदान राशि के बारे में तथा अपीलांट की माता मखणी देवी के देहावसान पर विधिक उत्तराधिकारी के रूप में नामान्तरकरण करवाने हेतु सम्पर्क किया जो हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उक्त अशुद्ध नाम दर्ज होने की जानकारी दी गई। इस पर अपीलाधीन विरासत के नामान्तरकरण सं. 152 की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 23.05.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक [illegible]2018 को प्राप्त होने पर यह अपील जानकारी होने [illegible] हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना अपीलांट्स की जांच एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया हैं जो विधि विरूद्ध होने से इसके विरूद्ध इस अपील के लिये मयाद बाधा नही हैं। इसके बावजूद भी विधि की आवश्यकता अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। उपर्युक्त तथ्यों एवं आधार पर अपीलांट्स की यह अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त करते हुए विवादित भूमि में अपीलांट्स के वास्तविक नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा महाबार पीथल के खसरा नम्बर 877 व 897 की भूमि खातेदार पूनमा पुत्र अजीता के नाम दर्ज थी। उक्त खातेदार के फोत होने पर दायर किये गये विरासत के नामान्तरकरण सं. 152 में मृतक पूनमा के वारीसान में पूर्व मृत पुत्र डामरा के पुत्रों का नाम मदन, प्रकाश, ईसा पि0 डामरा अंकित किया गया हैं। अपीलांट्स का कथन हैं कि मदन का वास्तविक नाम पदमाराम तथा ईसा का वास्तविक नाम ईश्वरलाल हैं जो हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बाड़मेर द्वारा बिना जांच एवं पूछताछ के अपनी मनमर्जी से लिख दिये गये हैं। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में उनके अशुद्ध नाम अंकित हो जाने से उन्हे सरकारी योजनाओं के लाभ लेने एवं अन्य प्रयोजनार्थ कठिनाई आ रही हैं। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के समर्थन रेस्पोडेंट्स सं. 1से 9 व 11, 12 ने करते हुए इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलांट्स का सगा भाई प्रकाश रेस्पो0 सं. 11 भी हैं। अपीलांट्स ने अपनी पहचान के दस्तावेज भामाशाह कार्ड, विद्यालय के प्रमाण–पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र इत्यादि प्रस्तुत किये, जिनके अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता हैं कि अपीलांट्स स्व0 पूनमा के वास्तविक वारीस एवं मृतक डामरा के पुत्र हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व वारीसान की जांच एवं अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया हैं, जो त्रुटिपूर्ण होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। चुंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं जिससे उन्हें उक्त नामान्तरकरण की तत्समय जानकारी नहीं होने का कथन स्वाभाविक प्रतीत होता हैं तथा इस आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishu Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

मयाद शुमार की जाती हैं तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य प्रतीत होती हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा महाबार पीथल के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 152 को आंशिक रूप से डामरा के वारीसान के बाबत अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक पूनमा के पूर्व मृत पुत्र डामरा के वास्तविक वारीसान की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

7. निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:32 IST
Reason: SelfAttested